संख्या–[illegible](1)/तीन–2008–5(1)/2004

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग   लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 2008

विषय–: अशोक चक्र श्रृंखला के पदक से विभूषित महानुभावों को दी जाने वाली धनराशि की सीमा में बढ़ोत्तरी।

महोदय,

अशोक चक्र श्रृंखला के पदकों से विभूषित प्रदेश के नागरिक को पूर्व में शासन द्वारा निम्नलिखित धनराशि शासनादेश संख्या–वी0आई0पी0–111/तीन–98–5(14)/97सा0प्र0अनु0, दिनॉक 06 मई, 1999 द्वारा अनुमन्य की गई थी :–

क्र0	पदक का नाम	वार्षिकी की राशि	एक मुश्त धनराशि
1	अशोक चक्र	रू0 400/–	रू0 40,000/–
2	कीर्ति चक्र	रू0 300/–	रू0 25,000/–
3	शौर्य चक्र	रू0 200/–	रू0 10,000/–

2– उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 06–5–1999 के अनुक्रम में पदकों के लिए दी जाने वाली उक्त धनराशियों को निम्नवत बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0	पदक का नाम	वार्षिकी की राशि	एक मुश्त धनराशि
1	अशोक चक्र	रू0 1,20,000/–	रू0 25,00,000/–
2	कीर्ति चक्र	रू0 1,00,000/–	रू0 15,00,000/–
3	शौर्य चक्र	रू0 50,000/–	रू0 10,00,000/–

3– पदकों के विभूषित महानुभावों को उक्त बढ़ी हुई दरों पर धनराशि का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जायेगा । बढ़ी हुई धनराशि पूर्व में पदक प्राप्त

....2...

महानुभावों को भी अनुमन्य होगी। इस सम्बन्ध में कोई एरियर भुगतान नहीं किया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–84 लेखाशीर्षक "2075–विविध–सामान्य सेवायें –आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–04–अशोक चक्र श्रृंखला में उल्लिखित पुरस्कारों के लिए धनराशि" के नामे डाला जाएगा।

5– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या–ई–5–1567/दस–2008, दिनांक 18 सितम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
ह0/–
के0 के0 सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या–: 2028 (2)/तीन–08, तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, मुख्य मत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
3– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– अवर सचिव, रक्षा मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5– अवर सचिव, गृह मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6– जनरल आफिसर कमाण्डिंग–इन चीफ, मुख्यालय मध्य कमान लखनऊ।
7– एडजुटैन्ट जनरल, सेना मुख्यालय, डी0एच0क्यू0पी0ओ0, नई दिल्ली।
8– निदेशक, सैनिक कल्याण एव पुनर्वास, उ0प्र0, लखनऊ।
9– सैनिक कल्याण अनुभाग–1
10– वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6

आज्ञा से,
ह0/–
पी0एन0 यादव
विशेष सचिव।

प्रेषक,

अनीता चटर्जी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2010

विषय : **अशोक चक्र श्रृंखला के पदक से विभूषित महानुभावों को दी जाने वाली धनराशि की सीमा में बढ़ोत्तरी के भुगतान किये जाने के संबंध में संशोधन।**

महोदय,

अशोक चक्र श्रृंखला के पदकों से विभूषित प्रदेश के नागरिक को बढ़ी हुई दर से एकमुश्त तथा वार्षिकी का भुगतान किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या–2028(1)/तीन–2008–5(1)/2004, दिनांक 21–9–2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या–2028 (1)/तीन–2008–5 (1)/2008 दिनॉक 21 सितम्बर,2008 के प्रस्तर–3 में शासन द्वारा सम्यकविचारोपरान्त निम्नलिखित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है

शासनादेश दिनांक 21–9–2008 के प्रस्तर–3 में वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
3–पदकों से विभूषित महानुभावों को उक्त बढ़ी हुई दरों पर धनराशि का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जायेगा। बढ़ी हुई धनराशि पूर्व में पदक प्राप्त महानुभावों को भी अनुमन्य होगी। इस संबंध में कोई एरियर भुगतान नहीं किया जायेगा।	3–अशोक चक्र श्रृंखला के पदको से विभूषित महानुभावो को उक्त बढ़ी हुयी दरो पर वार्षिकी की धनराशि का भुगतान इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से किया जायेगा। बढ़ी हुयी दरों से एकमुश्त धनराशि शासनादेश जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि को अशोक चक्र श्रृंखला से विभूषित होने वाले महानुभावो को ही अनुमन्य होगी। इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व की किसी तिथि को अशोक चक्र श्रृखंला पदको से विभूषित महानुभावों को एकमुश्त धनराशि के भुगतान के प्रकरणों को रि– ओपन नहीं किया जायेगा, वरन् ऐसे दावे तत्समय प्रभावी शासनादेश के अनुसार निस्तारित होगें।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 21 सितम्बर, 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–5–1499 /दस–10,दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अनीता चटर्जी)
सचिव।

ASHOK CHAKRA

संख्या : 2314(1)/तीन 2010 5(1)/2004, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
3– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5– अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6– जनरल आफिसर कमाण्डिंग–इन चीफ, मुख्यालय मध्य कमान लखनऊ।
7– एडजुटैन्ट जनरल, सेना मुख्यालय, डी0एच0क्यू0पी0ओ0, नई दिल्ली।
8– निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0, लखनऊ।
9– सैनिक कल्याण अनुभाग–1
10 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग 5

आज्ञा से,

(शान्ति नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव।